

**छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-क के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव**

स.क्र.	ग्राम	खसरा नं.	एकड़ (हे.मै)	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण प्रस्ताव
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	नवागाँव	253 का भाग	2.190 में से 0.140	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद-प्रमोद
2	नवागाँव	254 का भाग	0.320 में से 0.002	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद-प्रमोद
3	नवागाँव	255 का भाग	2.730 में से 0.514	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद-प्रमोद
4	नवागाँव	262 का भाग	2.620 में से 0.299	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद-प्रमोद
5	नवागाँव	397 का भाग	7.730 में से 0.494	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद-प्रमोद
6	नवागाँव	393 का भाग	1.370 में से 0.787	आमोद-प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
7	नवागाँव	394 का भाग	0.040 में से 0.032	आमोद-प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
8	नवागाँव	395 का भाग	1.660 में से 0.628	आमोद-प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
9	नवागाँव	398 का भाग	2.000 में से 0.919	आमोद-प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
10	नवागाँव	399 का भाग	0.530 में से 0.092	आमोद-प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
11	नवागाँव	561 का भाग	19.180 में से 0.077	आमोद-प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
<b>Total</b>			<b>3.983</b>		

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 मई 2022

क्रमांक एफ 07-48/2021/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 29-03-2022 द्वारा आरंग विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-

आरंग विकास योजना 2031 में स्वीकृत एवं स्वीकार उपयोग की बिन्दु क्रमांक 16.7 की सारणी 16.1, बिन्दु क्रमांक 16.8 की सारणी 16.2, बिन्दु क्रमांक 16.9.1.13 की सारणी 16.17 उपांतरण :-

(1) सारणी 16.1 उपयोग श्रेणी में स्वीकृत गतिविधियाँ

स. क्र.	उपयोग श्रेणी	स्वीकृत गतिविधिया में शामिल किया जाकर उपांतरण
20	कृषि-2 (Ag2)	बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह-कैपटीव पावर प्लांट

(2) सारणी 16.2 उपयोग परिक्षेत्र में अनुज्ञेय एफ.ए.आर. एवं स्वीकृत तथा स्वीकार्य उपयोग श्रेणी

स.क्र.	उपयोग परिक्षेत्र	अनुज्ञेय एफ.ए.आर.	प्रभार योग्य एफ.ए.आर.	अधिकतम एफ.ए.आर.	स्वीकृत उपयोग श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग श्रेणी शामिल किया जाकर उपांतरण
14	कृषि क्षेत्र	1.0	00	1.00	—	बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह-कैपटीव पावर प्लांट

## (3) सारणी 16.17 कृषि क्षेत्र में मार्ग चौड़ाई अनुसार स्वीकृत उपयोग श्रेणीयाँ

स. क्र.	मार्ग चौड़ाई (मीटर में)	स्वीकृत उपयोग श्रेणीयाँ शामिल किया जाकर उपांतरण
4	30 मीटर और 30 मीटर से अधिक	बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह-कैपटीव पावर प्लांट

नोट :— भवन की चौड़ाई आंतरिक खुला क्षेत्र, खुला क्षेत्र, पार्किंग, बेसमेंट आदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार मान्य होंगे।

- उक्त प्रस्तावित उपांतरण राज्य में अधिशेष खाद्यान्न आधारित बायो-एथेनॉल (जैव ईंधन) उत्पादन संयंत्र प्रयोजन हेतु है।
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
- अतः राज्य शासन एतद्वारा आरंग विकास योजना 2031 में उपयोग उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण आरंग विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. तिकी, उप-सचिव।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 मई 2022

क्रमांक एफ 1-01/2022/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एस. एस. बजाज, भा.व.से. (1988)	अपर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह विशेष प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनापेज संघ, नवा रायपुर अटल नगर.
2.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भा.व.से. (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.
3.	श्रीमती संजीता गुप्ता, भा.व.से. (1997)	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.
4.	श्री सौरभ सिंह ठाकुर, भा.व.से. (2017)	वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, सा.वा.व.मं., जगदलपुर.	वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव।